भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 06/46/2025 - डीजीटीआर

भारत सरकार,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 26th सितंबर 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला सं. ए डी (ओ आई): 41/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. **फा. सं. 06/46/2025-डीजीटीआर** - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद **"अधिनियम"** के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद **"नियमावली"** अथवा **"पाटनरोधी नियमावली"** के रुप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, इंड-स्फिंक्स प्रिसिजन लिमिटेड (जिसे इसके बाद **"आवेदक"** अथवा **"घरेलू उद्योग"** के रुप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद **"प्राधिकारी"** के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद **"संबद्ध देश"** के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टूल्स" (जिसे इसके बाद **"विचाराधीन उत्पाद"** अथवा **"पीयूसी"** अथवा **"संबद्ध वस्तु"** के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तुओं को भारत में संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है और इससे वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद **"प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ("पी सी बी") टूल्स"** अर्थात् पी सी बी ड्रिल और पी सी बी राउटर है। पी सी बी ड्रिल और पी सी बी राउटर को क्रमशः पी सी बी ड्रिल बिट और पी सी बी राउटर बिट के रुप में भी कहा जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद 3.175 मि.मी. के मानक आकार के शैंक व्यास वाले पी सी बी ड्रिल और पी सी बी राउटर तक सीमित है। शैंक व्यास शब्द टूल के बेलनाकार भाग की मोटाई को दर्शाता है। टूल का शैंक भाग मशीनिंग उपकरण से जुड़ा होता है, जिससे पी सी बी निर्माण टूल्स में उपयोग किए जाने वाले मानक कॉलेट और स्पिंडल के साथ संगतता सुनिश्चित होती है।

5. पी सी बी ड्रिल और पी सी बी राउटर पी सी बी निर्माण के अभिन्न अंग हैं, जो अलग-अलग लेकिन पूरक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पी सी बी ड्रिल विशेष रूप से ऐसे छेद बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो कई पी सी बी परतों में यांत्रिक और विद्युतीय दोनों तरह के अंतर्संबंधों को सक्षम बनाते हैं, जिससे मज़बूत फिक्सेशन के लिए थ्रू-होल कंपोनेंट इंस्टॉलेशन में सहायता मिलती है और प्लेटेड थ्रू-होल के माध्यम से तांबे की परतों के बीच सुचालक मार्ग स्थापित होते हैं। ड्रिल का आकार सामान्य तौर पर 0.20 मि.मी. से लेकर 7.50 मि.मी. व्यास तक का होता है, जिसमें फ्लूट प्रोफ़ाइल, ग्रूव या फ्लूट की संरचना और संख्या के द्वारा निर्धारित होती है,जिसकी चिप के निष्कासन और हीट के अपव्यय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपेक्षा के आधार पर, ड्रिल में सिंगल-फ्लूट, डबल-फ्लूट या हाइब्रिड फ्लूट ज्योमेट्री, अंडर-कट के साथ या उसके बिना, छेद की सटीकता को अनुकूलित करने, टूट-फूट को कम करने और दीवार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हो सकती है, जिसका चयन बोर्ड स्टैक-अप मोटाई, सामग्री गुणों और प्लेटेड थ्रू-होल **("पी टी एच")** और नॉन-प्लेटेड थ्रू-होल **("एन पी टी एच")** के लिए टोलरेंस अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है।

6. पी सी बी राउटर का उपयोग स्लॉट काटकर या बिना छेद बनाए बोर्ड की आउटलाइन निर्धारित करके पी सी बी सब्सट्रेट को आकार देने के लिए किया जाता है। इनके कार्यों में साफ किनारों के साथ पी सी बी की बाहरी प्रोफ़ाइल को परिभाषित करना और असेंबली के लिए आंतरिक कट-आउट, स्लॉट और मार्ग बनाना शामिल है। राउटर बिट्स का व्यास सामान्य तौर पर 0.50 मि. मी. से लेकर 3.175 मि.मी. तक का होता है, और बिट के आकार का चुनाव बोर्ड की मोटाई, आउटलाइन की जटिलता और नेविगेशनल टोलरेंस पर निर्भर करता है। राउटर बिट्स पर फ्लूट्स की संख्या और ज्योमेट्री, जो सामान्य तौर पर 1 से 8 के बीच होती है, सामग्री के प्रकार और रूटिंग

अनुप्रयोग के अनुसार अनुकूलित होती है। जबकि फ्लूट ज्योमेट्री, जैसे हेलिक्स कोण, पिच और प्रोफ़ाइल, सीधे हीट बिल्डअप, स्वार्फ़ प्रबंधन और एज फ़िनिश गुणवत्ता को प्रभावित करती है। विशिष्ट रूटिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अप कट, डाउन कट, चिप ब्रेकर, डायमंड कट, सिंगल फ्लूट और टू फ्लूट जैसी डिज़ाइन विविधताओं का चयन किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 82075000, 82077090 और 82079090 के अंतर्गत ***"आधार धातु के टूल्स औजार, कटलरी, चम्मच और कांटे; आधार धातु के तत्संबंधी भाग"*** नामक शीर्षक के अध्याय 82 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

<u>उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पी सी एन")</u>

8. आवेदक ने आवेदन में आयातित उत्पाद की घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ निष्पक्ष तुलना करने के लिए पी सी एन का प्रस्ताव किया है। आवेदक द्वारा आवेदन में सुझाए गए पीसीएन नीचे दिए गए हैं:

पैरामीटर	**टाइप**	**पीसीएन कोड**
पीसीबी टूल का टाइप	पीसीबी ड्रिल	पीसीबी डी
	पीसीबी राउटर	पीसीबी आर

9. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य सहित) (यदि कोई हो तो) का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है, और दोनों ही समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर उपयोग किया है

और कर रहे हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

11. वर्तमान आवेदन इंड-स्फिंक्स प्रिसिजन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक और उत्पादक, सीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **("सी टी सी")** है। आवेदक ने यह दावा किया है कि सीटीसी मुख्य रूप से निर्यातोन्मुखी है और इसकी घरेलू बिक्री सीमित है। आवेदक ने आवेदन में यह भी कहा है कि उसने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/ निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबंधित है।

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि आवेदक का अकेले ही विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा शामिल है और इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है। इसके अलावा, आवेदन पाटनराधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को भी पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे इसके बाद **"पी ओ आई"** के रुप में भी कहा गया है) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह की अवधि) है। क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और पी ओ आई की अवधि शामिल होगी।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

i. <u>सामान्य मूल्य</u>

15. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, उसने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य पद्धति को जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा गया है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

17. आवेदक ने बाज़ार आसूचना के आधार पर सी आई एफ निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है और कारखाना-बाह्य निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क के आधार पर कीमत का समायोजन किया गया है।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। संपूर्ण क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयात महत्वपूर्ण रहे हैं और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इनमें वृद्धि हुई है। कुल भारतीय मांग के सापेक्ष आयातों में जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई है, जबकि कुल भारतीय उत्पादन

में आयात के सापेक्ष हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास अधिकांश भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान इसकी बाजार हिस्सेदारी लगातार कम रही है। चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपने संयंत्र का इष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं कर पाया है। आधार वर्ष को छोड़कर, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है। चीन जन. गण. से आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम थीं, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में भारी कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई हैं। इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* प्रमाण मौजूद हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है, जो पाटनरोधी जांच शुरूआत करने को उचित ठहराता है।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीयूसी के पाटन, कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीयूसी के संबंध में पाटन की उपस्थिति, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

22. प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd15-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत किए गए अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।

23. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने अनुरोधों को निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से, नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर, ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर प्रस्तुत कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना और जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना प्राधिकारी को ईमेल पते jd15-dgtr@gov.in, dd16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित की गई उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

29. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समयविस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

30. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगतव्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। इसका पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

31. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे किसी अंकत के प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता उसके गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, उसके लिए सूचना के प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (जहां अनुक्रमण संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस जानकारी के आधार पर उचित रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

34. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का

सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए ऐसा सारांश प्रस्तुत न किए जाने के कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

35. हितबद्ध पक्षकार, अनुरोध के अगोपनीय पाठ के प्रसारित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. गोपनीयता के दावे पर, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण के विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों का अगोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ़. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इनकार करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी